न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 15/2020

पवन कुमार पुत्र जुगल किशोर जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम पिलानी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मलसीसर जिला झुंझुनू।

– रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अं0धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956 खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर विरूद्ध नामान्तरण संख्या 350 आदेश दिनांक 20.8.2019

उपस्थितिः–

1. श्री इन्द्रजीत शर्मा, एडवोकेट –––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता––रेस्पोडेंट सं0 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 31.5.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय विरूद्ध नामान्तरण संख्या 350 आदेश दिनांक 20.8.2019 ग्राम मलसीसर न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि–उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ने प्रकरण सरकार जरिये तहसीलदार भू.अ. मलसीसर बनाम ग्रामवासी समस्त पिलानी खुर्द रास्ता प्रस्ताव प्रार्थना पत्र 251 (क) मु0नं0 58/2019 में आदेश दिनांक 6.8.2019 पारित कर तहसीलदार मलसीसर का पिलानी खुर्द से लेखू का बास (चक...) जाने का रास्ता का प्रस्ताव स्वीकार कर तहसीलदार मलसीसर को आदेशित किया कि ग्राम पिलानी ... की भूमि खसरा नंबर 211 (गै.मु.आबादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

होने से) को छोड़कर मुताबिक रास्ता के प्रस्ताव के अनुसार वर्णित खसरा नंबरान के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो मुताबिक रास्ता के प्रस्ताव के अनुसार प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रास्ते का प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने नामान्तरकरण संख्या 350 दिनांक 28.8.2019 खोलकर स्वीकृत व तस्दीक करने का आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि –अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 6.8.2019 की अनुपालना में यह नामान्तरकरण संख्या 350 स्वीकृत किया है, जबकि उपखण्ड अधिकारी मलसीसर का उक्त आदेश दिनांक 6.8.2019 को न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपीलार्थी पवन कुमार शर्मा की तरफ से प्रस्तुत अपील उनवानी पवन कुमार शर्मा बनाम उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मु0नं0 209/2019 में आदेश दिनांक 30.10.2019 पारित कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.8.2019 को निरस्त किया जा चुका है। इसलिए नामांतरण संख्या 350 को स्वीकृत व तस्दीक करने का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का आलोच्य आदेश स्वतः ही कानूनन निरस्त अविधिमान्य एवं निष्प्रभावी हो चुका है। इसलिए यह आलोच्य नामान्तरकरण का आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 232 तादादी 3.70 हैक्टर बारानी के गलत रूप से नये खसरा नंबर 399/232 तादादी 0.77 हैक्टर बारानी 2, खसरा नंबर 400/232 तादादी 0.10 हैक्टर गै.मु.रास्ता, खसरा नंबर 401/232 तादादी 2.83 हैक्टर बारानी 2 कायम करके यह नामान्तरकरण संख्या 350 खोल दिया जब कि खसरा नंबर 232 तादादी 3.70 हैक्टर भूमि ग्राम पिलानी खुर्द में पहले कभी कोई रास्ता प्रचलित नहीं रहा था। नये खसरा नंबर 400/232 तादादी 0.10 हैक्टर गे.मु. रास्ता की भूमि पर कभी भी पिलानी खुर्द से लेखू का बास जाने का रास्ता नहीं रहा था और ना ही वर्तमान में कोई रास्ता है। इस नामांतरण के यथावत रहने से अपीलार्थी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड़ेगा और वह खसरा नंबर 232 की भूमि पर काश्त करने में अपने अधिकारों से वंचित रहेगा तथा खेत का क्षेत्रफल कम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

हो जायेगा तथा खेत दो भागों में विभाजित हो जायेगा, इसलिए आलोच्य नामांतरकरण स्वीकृत करने का आदेश निरस्त होने योग्य है।

अपीलांट ने आगे कथन किया कि ग्राम पिलानी खुर्द से लेखु का बास जाने का एक आम रास्ता पहले खसरा नंबर 218, 210, 209, 233, 232/351में से होकर काफी वर्षों से चालू रहा था,इसी रास्ते के सहारे पानी का बहाव भी होता था, किन्तु खसरा नंबर 309 के खातेदार शिवकरण ने राजस्व रिकार्ड के नक्शे में जर्द चले आ रहे डोटेड लाईन से दर्शित आम रास्ते को बिना सरकार इजाजत के पक्की दीवार व ढारा बनाकर बंद कर दिया। खसरा नंबर 209 रकबा 0.74 हैक्टर भूमि में से उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम 100 मीटर ल0 की व उत्तर से दक्षिण 5 मीटर चौ0 की कुल 500 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु राज0 सरकार को समर्पित करने का अपंजीकृत समर्पण पत्र लिखकर गलत एवं अविधिमान्य तरीके से पूर्व में प्रचलित डोटेड लाईन के रास्ते को बंद कर नया रास्ता कायम करने के लिए कार्यवाही की तथा अन्य पड़ौसी खातेदारों से सांठगांठ करके उपखण्ड अधिकारी से अविधिमान्य आदेश पारित करवाकर पूर्व में प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड से हटवाकर बिल्कुल नया रास्ता अपीलार्थी की भूमि में से कायम कर दिया,इसलिये नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। खसरा नंबर 209 के खातेदर शिवकरण पुत्र मालाराम के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ने अं0धारा 133 मु0नं0 1/2018 मनीष बनाम शिवकरण वगैरह में आदेश दिनांक 18.6.2019 द्वारा पिलानी खुर्द से चन्दवा जाने के आम रास्ते को अवरोधित कर बनाई गई पुख्ता दीवार के अतिक्रमण को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके अलावा उक्त रास्ते को अवरोधित कर नया रास्ता अपीलार्थी की भूमि में से निकालने से रोकने के लिए एक सिविल वाद उनवान पवन कुमार बनाम शिवकरण वगैरह मु0नं0 24/2018 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं तुड़वाने तामीरात का न्यायालय सिविल न्यायाधीश झुंझुनू के यहां विचाराधीन रहते उपरोक्त नामांतरण विधि विरूद्ध तरीके से खोला गया है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर नामांतरण संख्या 350 दिनांक 20.8.2019 को निरस्त करवाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:03 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ने प्रकरण सरकार जरिये तहसीलदार भू.अ. मलसीसर बनाम ग्रामवासी समस्त पिलानी खुर्द रास्ता प्रस्ताव प्रार्थना पत्र 251 (क) मु0नं0 58/2019 में आदेश दिनांक 6.8.2019 पारित कर तहसीलदार मलसीसर का पिलानी खुर्द से लेखू का बास (चन्दवा) जाने का रास्ता का प्रस्ताव स्वीकार कर तहसीलदार मलसीसर को आदेशित किया कि ग्राम पिलानी खुर्द के भूमि खसरा नंबर 211 (गै.मु.आबादी होने से) को छोड़कर मुताबिक रास्ता के प्रस्ताव के अनुसार वर्णित खसरा नंबरान के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो मुताबिक रास्ता के प्रस्ताव के अनुसार प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रास्ते का प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर ने नामान्तरकरण संख्या 350 दिनांक 28.8.2019 खोलकर स्वीकृत व तस्दीक करने का आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि –अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 6.8.2019 की अनुपालना में यह नामान्तरकरण संख्या 350 स्वीकृत किया है, जबकि उपखण्ड अधिकारी मलसीसर का उक्त आदेश दिनांक 6.8.2019 को न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपीलार्थी पवन कुमार शर्मा की तरफ से प्रस्तुत अपील उनवानी पवन कुमार शर्मा बनाम उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मु0नं0 209/2019 में आदेश दिनांक 30.10.2019 पारित कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.8.2019 को निरस्त किया जा चुका है। इसलिए नामांतरण संख्या 350 को स्वीकृत व तस्दीक करने का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का आलोच्य आदेश स्वतः ही कानूनन निरस्त अविधिमान्य एवं निष्प्रभावी हो चुका है। इसलिए आलोच्य नामान्तरकरण का आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

232 तादादी 3.70 हैक्टर बारानी के गलत रूप से नये खसरा नंबर 399/232 तादादी 0.77 हैक्टर बारानी 2, खसरा नंबर 400/232 तादादी 0.10 हैक्टर गै.मु.रास्ता, खसरा नंबर 401/232 तादादी 2.83 हैक्टर बारानी 2 कायम करके यह नामान्तरकरण संख्या 350 खोल दिया जब कि खसरा नंबर 232 तादादी 3.70 हैक्टर भूमि ग्राम पिलानी खुर्द में पहले कभी कोई रास्ता प्रचलित नहीं रहा था। नये खसरा नंबर 400/232 तादादी 0.10 हैक्टर गे.मु. रास्ता की भूमि पर कभी भी पिलानी खुर्द से लेखू का बास जाने का रास्ता नहीं रहा था और ना ही वर्तमान में कोई रास्ता है। इस नामांतरण के यथावत रहने से अपीलार्थी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड़ेगा और वह खसरा नंबर 232 की भूमि पर काश्त करने में अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगा तथा खेत का क्षेत्रफर कम हो जायेगा तथा खेत दो भागों में विभाजित हो जायेगाा, इसलिए आलोच्य नामांतरकरण स्वीकृत करने का आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर नामांतरण संख्या 350 दिनांक 20.8.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस विद्धान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि–तहसीलदार मलसीसर द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण के अन्तर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ते का प्रस्ताव पेश कर गै0मु0 रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया है जिसके आधार पर राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार विधिसम्मत कार्यवाही की जाकर गै.मु. रास्ता दर्ज किया गया है। अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत अपील नामांतरण संख्या 350 दिनांक 20.8.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के आदेश दिनांक 6.8.2019 द्वारा तस्दीक किया गया था। उपखण्ड अधिकारी मलसीसर का उक्त आदेश दिनांक 6.8.2019 के विरूद्ध अपील होने पर न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त,जयपुर द्वारा मु0नं 209/19 (आरसीएमएस नं0 2019/00085) निर्णय दिनांक 30.10.2019 में पारित आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी मलसीसर का उक्त आदेश दिनांक 6.8.2019 को निरस्त किया जा चुका है और प्रकरण पुनः गुणावगुण पर सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को भेजा गया है। ऐसी स्थिति में जब उपखण्ड अधिकारी मलसीसर का आदेश दिनांक 6.8.2019 निरस्त किया जा चुका है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

नामांतरण संख्या 350 ग्राम पिलानी खुर्द का अस्तित्व में रहने का कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा तस्दीक नामांतरण संख्या 350 ग्राम पिलानी खुर्द निरस्त किया जाता है। राजस्व रिकार्ड की स्थिति पूर्ववत कायम की जाती है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.5.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:50:03 IST
Reason: SelfAttested